



लोक सुनवाई की सूचना


Expansion of Coke Oven Plant of 22500 TPA to 45000 TPA capacity and addition of Coal Washery- 66000 TPA, Briquette Plant – 16500 TPA and Captive Power Plant of 6 MW of unit M/s Maa Anjani Industries की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की तिथि दिनांक 11.02.2017 (दिन-शनिवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे “Samudayik Bhawan, Bishwasdih, Giridih ” में निर्धारित की गई है।

उक्त योजना के सम्भावित प्रभाव से प्रभावित होने वाले लोगों/नागरिकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लोक सुनवाई में उक्त तिथि, समय एवं स्थान पर आवश्यक रूप से भाग लें एवं अपने विचार से अवगत करावें। इसके अतिरिक्त वे अपना सुझाव, विचार, मंतव्य अथवा आपत्ति, यदि हो, तो लिखित रूप से सूचना उक्त लोक सुनवाई की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची/जिले के उपायुक्त कार्यालय, गिरीडीह / पर्षद के क्षेत्रीय कार्यालय सह प्रयोगशाला, हजारीबाग में उपलब्ध करा दें।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। लोक सुनवाई की प्रक्रिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की ई०आइ०ए० अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1533 दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या एस०ओ०03067(ई०) दिनांक 01.12.09 के अनुरूप होगी।

यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त प्रोजेक्ट का ड्रॉफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा इसके सारांश की एक-एक हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ रखी रहेगी। साथ ही कार्यकारी सारांश भी इन कार्यालयों से ही प्राप्त किया जा सकता है।

1. उपायुक्त कार्यालय, गिरीडीह
2. जिला उद्योग केन्द्र, गिरीडीह
3. जिला पर्षद/नगर निगम गिरीडीह
4. मुख्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, हजारीबाग।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, (राँची) बंगला न० ए-2, श्यामली कॉलोनी, राँची – 834 002
7. संबंधित पंचायत।
8. संबंधित प्रखण्ड विकास पदा०/अंचलाधिकारी कार्यालय।


(एस के सुमन)
सदस्य सचिव
